

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०११

अधिकारी/कर्मचारी का (पू. नाम) श्री रोसा क. शर्मा, जिगमें वह दो रवीन्द्र चतुर्वेदी 2. वर्तमान धारित पद महा प्रबन्धक

3. वर्तमान वेत: 37400 अगला वेतनवृद्धि का तारीख 01.07.2011

जि. उप. संभाग, तालुका प्रम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो धारताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित को गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	प्लॉट तथा जमा भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला इन्डार	-	गुल्शनी नगर 1500 Sq.ft	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम से	खरीद दि. 27.03.1993 RS - RS.000/-	निरंक	-
भोपाल	-	शाहपुरा 2400 Sq.ft	ज्ञात नहीं	स्वयं एवं पत्नी के नाम से	खरीद दि. 13.01.96 रु. 3,36,000/- रु. 76,254/- रजिस्ट्री रु. 9,99,594/- निमंत्रण	रु. 24,000/-	-

..... जहां लागू न हो काट रोजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के सार्वभौमिक संपत्ति के सार्वभौमिक मूल्य चतुस्तया जाए।
 *** में अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1950 के नियम 28(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, श्रेणी से भी तथा राष्ट्रीय से भी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चरण में अर्जित के परवाना यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या दान से अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उनके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के रूप में करें।

रस्तावर
 नाम रवीन्द्र चतुर्वेदी
 पद महा प्रबन्धक